2022/404

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट

श्री श्याम कुमार मीणा
निंवासी केशरपुरा
तहसील शिवगंज
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

मुकदमा नं. 78 वर्ष 2022

किस्म मुकदमा— **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28.12.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 23.09.2022, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि 01 जनवरी 2022 से दिनांक 23.09. 2022 तक सिरोही जिले एवं उपखण्ड शिवगंज के सभी सरकारी विभागों में कुल ऑनलाईन व ऑफलाईन आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त हुए एवं निस्तारित, लम्बित व अस्वीकार प्रकरणों के आंकडे विभागवार उपलब्ध कराने से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 23.09.2022, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि 01 जनवरी 2022 से दिनांक 23.09.2022 तक सिरोही जिले एवं उपखण्ड शिवगंज के सभी सरकारी विभागों में कुल ऑनलाईन व ऑफलाईन आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त हुए एवं निस्तारित, लम्बित व अस्वीकार प्रकरणों के आंकडे विभागवार उपलब्ध कराने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ. /रेकर्ड/ 2022/1485 दिनांक 05.12..2022 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है एवं शेष सूचना उपखण्ड अधिकारी शिवगंज से सम्बन्धित होने से अपीलांट का आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज को जरिए पत्रांक 1091 दिनांक 30.09.2022 के द्वारा स्थानान्तरित कर दिया। अतः अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि [illegible] नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। नि[illegible] इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (हस्ताक्षर) (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:01:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner